


राज्य नगर नियोजन संस्थान भोपाल मध्यप्रदेश

“कचनार” पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल-462016

फोन:0755-2466514, 2420658, Email: sitpbhopal@gmail.com



पत्र क्रमांक 3262 / जोनल प्लान-एफ-89 / नियोजन

भोपाल, दिनांक

27/05/2022

प्रतियोगिता - जून 2022

अंतिम तिथि 16.06.2022 शाम 5:00 बजे तक

प्रस्तुतिकरण तिथि 20.06.2022 दोपहर 3:00 बजे

प्रति,

राज्य नगर नियोजन संस्थान में सूचीबद्ध/अर्बन प्लानर/ अर्बन प्लानर संस्था

विषय:-उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में नगर निवेश अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान अनुसार जोनल प्लान तैयार करने हेतु अर्बन प्लानर/नगर निवेश/अर्बन प्लानर संस्था के चयन हेतु प्रतियोगिता बावत्।

संदर्भ:-नगर पालिक निगम उज्जैन का पत्र क्रमांक शि.वि./2022/44, दिनांक 19.01.2022

राज्य नगर नियोजन संस्थान साडा, वि.प्रा. एवं अन्य संस्थाओं को तकनीकी/वस्तुविदीय /नियोजन के सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करता है। इस बावत् विभिन्न योजनाओं के परामर्श हेतु संस्था में सूचीबद्ध सलाहकारों की सेवाएँ ली जाती है। इस हेतु श्रेष्ठ विकल्प प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य नगर नियोजन संस्थान में सूचीबद्ध सलाहकार/संस्थाओं (आगे जिन्हें इच्छुक आवेदक) कहा जायेगा के मध्य एक प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।

1 उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में नगर निवेश अधिनियम की धारा 20 के प्रावधान अनुसार जोनल प्लान तैयार करना

प्रस्तावित जोनल प्लान का विवरण एवं अनुमानित शुल्क निम्नानुसार है:-

प्रति जोनल प्लान

क्र.	जनसंख्या	संस्था से प्राप्त की जाने वाली राशि रूपये	सलाहकार को देय राशि सभी कर सहित रूपये	उपररोक्त शुल्क में डिजिटल डिजिटल नक्शों की जियो रिफरेंसिंग शामिल नहीं है। जियो रिफरेंसिंग का वास्तविक मूल्य एवं डिजिटल डिजिटल हेतु 10 रूपये प्रति हेक्टेयर शुल्क संस्था से प्राप्त किया जावेगा (सलाहकार को इस शुल्क का 90 प्रतिशत देय होगा)
1.	0 से पचास हजार तक	18.00 लाख	14.50लाख	
2.	पचास हजार से उपर एक लाख तक	25.50 लाख	20.50 लाख	
3.	एक लाख से उपर तीन लाख तक	30.00 लाख	24.00 लाख	
4.	तीन लाख से उपर पाँच लाख तक	37.50 लाख	30.00 लाख	
5.	पाँच लाख से उपर 10 लाख तक	45.00 लाख	36.00लाख	
6.	दस लाख से अधिक	75.00 लाख	60.00 लाख	

नोट:- (1) जीएसटी नियमानुसार देय होगा।

2. इच्छुक आवेदक को जोनल प्लान बनाते समय उज्जैन मास्टर प्लान के सभी मानकों/प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन कर समावेश किया जाना आवश्यक होगा।
3. इच्छुक आवेदक को जोनल प्लान डिजिटल प्लेटफार्म पर GIS Based बनाना होगा एवं जोनल प्लान से संबंधित कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है।
4. इच्छुक आवेदक को समरूप कार्यों का अध्ययन कर समिति के समक्ष प्रस्तुतिकरण करना होगा।
5. उज्जैन नगर निगम एवं निवेश क्षेत्र व उज्जैन धार्मिक नगरी होने से नयापुरा/जान्सापुरा/भेरुनाला/हैलावाडी/के.डी.गेट एवं जीवाजीगंज थाना क्षेत्र एवं महाकाल/गोपाल मंदिर/पटनीबाजार आदि घनी बस्ती क्षेत्र के सघन क्षेत्रों में दर्शनार्थियों की सुविधा अनुसार बस्तियों का जोनल प्लान बनाना होगा।
6. इन क्षेत्रों के जोनल प्लान तैयार करते समय विद्यमान सड़कों का चौड़ीकरण, यात्रियों हेतु आधुनिक सुविधाएँ जैसे पार्किंग आदि का समावेश कर धार्मिक नगरी के दृष्टिकोण को दृष्टिगत रख कर आवश्यक सुविधाओं का समावेश किया जाना होगा।
7. उपलब्ध शासकीय भूमि का उचित प्रबंधन/शासकीय भवनों का उचित उपयोग/धर्मार्थियों हेतु पार्क/बगीचों की विस्तृत योजना तैयार करनी होगी।
8. संपूर्ण योजना से संबंधित प्लान भी प्रस्तुत करना होगा।
9. इच्छुक आवेदक स्थल का निरीक्षण/प्रारम्भिक सर्वे कर उज्जैन नगर पालिका निगम उज्जैन कार्यालय से अद्यतन नियोजन/मानकों की जानकारी प्राप्त कर तदानुसार योजना की अवधारणा प्रस्तुत करनी होगी।
10. स्थलों एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी राज्य नगर नियोजन संस्थान/उज्जैन नगर पालिका निगम उज्जैन से प्राप्त की जा सकती है।
11. आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित योजना में नई निर्माण तकनीक का उपयोग करना, योजना का रूपांकन, आवश्यक प्रावधानों के अनुरूप ध्यान रखने की जबाबदेही चयनित इच्छुक आवेदक की होगी
12. आवेदन हेतु आवश्यक अर्हताएँ:—
 - (A) इच्छुक आवेदक का राज्य नगर नियोजन संस्थान में रूपांकन हेतु अद्यतन पंजीकरण होना आवश्यक है।
 - (B) इच्छुक आवेदक की टीम में मुख्य रूप से Urban Planner (minimum 5 year experience), इत्यादि का विवरण आवश्यक है।
 - (C) इच्छुक आवेदक द्वारा समान प्रकार की योजना एवं लागत के कार्य अनुभव को मूल्यांकन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

- (D) इच्छुक आवेदक का पिछले 3 वित्तीय वर्ष की तुलना में न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 50 लाख रुपये होना चाहिये। इच्छुक आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि टर्नओवर की पात्रता मानदंड के साक्ष्य के रूप में पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ साथ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट उनके तकनीकी प्रस्ताव के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
- (E) इच्छुक आवेदक को पिछले पांच वर्षों के दौरान क्लाइंट से प्रमाण पत्रों की प्रतियां जमा करनी आवश्यक है।

13 चयन के मापदण्ड:-

- (A) राज्य नगर नियोजन संस्थान द्वारा गठित चयन समिति (ज्यूरी) मूल्यांकन के लिए प्रस्तुतिकरण इच्छुक आवेदक से प्राप्त करेगी एवं चयन हेतु अनुशंसा कार्यपालन संचालक को करेगी। अंतिम निर्णय कार्यपालन संचालक का रहेगा।
- (B) चयन प्रक्रिया संलग्न परिशिष्ट-2 एवं बिंदु क्रमांक 1 से 12 तक अनुसार होगी।
- 14 राज्य नगर नियोजन संस्थान बगैर कोई कारण बताये किसी भी इच्छुक आवेदक को अमान्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 15 यदि उक्त रूपांकन कार्य में भाग लेना चाहते हैं तो इच्छुक आवेदक उल्लेखित बिंदुओं अनुरूप स्थल निरीक्षण करते हुए योजनाओं से संबंधित समस्त जानकारी संबंधित अधिकारी से प्राप्त कर निर्धारित योजना मानकों के अनुसार अपनी अवधारणा का वास्तुविदीय रूपांकन दिनांक 16.06.2022 को सायं 05:00 बजे तक राज्य नगर नियोजन संस्थान, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसमें 3 हार्ड कॉपीज व एक साफ्ट कॉपी पेनड्राइव में देना होगी। इसके अलावा कहीं और यदि Entry की जाती है तो वह मान्य नहीं होगी।

इस संबंध में राज्य नगर नियोजन संस्थान में गठित सलाहकार चयन समिति (ज्यूरी) की बैठक दिनांक 20.06.2022 को दोपहर 3:00 बजे राज्य नगर नियोजन संस्थान, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कालोनी, भोपाल के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। जिसमें इच्छुक आवेदक द्वारा प्रस्तुतिकरण पॉवर पाइंट के माध्यम से होना है। इस प्रपत्र में उन न्यूनतम महत्वपूर्ण बिंदुओं का विवरण दिया गया है, जिन पर पॉवर पाइंट प्रस्तुतिकरण आधारित रहेगा।

प्रत्येक इच्छुक आवेदक को 20 मिनट का समय प्रस्तुतिकरण हेतु दिया जायेगा। इस हेतु अब पृथक से पत्राचार नहीं किया जायेगा।

इच्छुक आवेदक से अपेक्षा है कि संस्था द्वारा दी गई आवश्यकताओं का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा अध्ययन एवं मौका निरीक्षण के उपरांत ही उपरोक्त निर्धारित तिथियों तक अपना प्रस्तुतिकरण समिति के समक्ष देवे, ताकि इच्छुक आवेदक का चयन किया जा सके।

- 16 स्थल निरीक्षण एवं योजना के विवरण के लिये योजनावार राज्य नगर नियोजन संस्थान/ उज्जैन नगर पालिका निगम उज्जैन के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
- 17 शुल्क का भुगतान ट्रायपार्टी अनुबंध अनुसार होगा। (प्रारूप अनुबंध चयन पश्चात उपलब्ध कराया जावेगा)

प्रस्तुतिकरण एवं संपर्क हेतु तालिका

स. क.	योजना का नाम	प्रस्तुतिकरण दिनांक	उज्जैन नगर पालिका निगम उज्जैन म.प्र. के अधिकारी का नाम एवं मोबा. नम्बर	/वास्तुविद/ सहायक यंत्री (सिटॉप) का नाम एवं मोबाइल नम्बर
1	उज्जैन नगर निगम क्षेत्र में जोनल प्लान तैयार करने हेतु उज्जैन नगर निगम एवं निवेश क्षेत्र व उज्जैन धार्मिक नगरी होने से नयापुरा/जान्सापुरा/भेरुनाला/हैलावाडी/के.डी.गेट एवं जीवाजीगंज थाना क्षेत्र एवं महाकाल/गोपाल मंदिर/पटनीबाजार आदि घनी बस्ती क्षेत्र के सघन क्षेत्रों में दर्शनार्थियों की सुविधा अनुसार बस्तियों का जोनल प्लान बनाना होगा।		श्री वी.के. कंठी अधीक्षण यंत्री 9827012500, श्री श्याम शर्मा, सहायक यंत्री, 9406801102	श्रीमती वर्षाजैन, सहायक वास्तुविद, 9993374956 श्री एस.पी द्विवेदी सहायक यंत्री 9630671967


संलग्न:- परिशिष्ट-1,2,3,4


(राजेश नागल)
संचालक समन्वय

राज्य नगर नियोजन संस्थान भोपाल
भोपाल, दिनांक

क्रमांक /सिटॉप/2022
प्रतिलिपि:-

- 1 आयुक्त नगर पालिक निगम उज्जैन।
- 2 लेखा शाखा, राज्य नगर नियोजन संस्थान भोपाल।
- 3 श्री अनिल राठौड, ट्रेसर कृपया इस पत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें एवं राज्य नगर नियोजन संस्थान में सूचीबद्ध सलाहकारों को संलग्न सूची अनुसार ईमेल एवं दूरभाष करना सुनिश्चित करें।


संचालक समन्वय
राज्य नगर नियोजन संस्थान भोपाल

Mail— sitpbhopal@gmail.com, Web--http://www.sitop.org.in, Mob-- 9926030186

चयन समिति द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण रूपांकन आवश्यकता से संबंधित बिंदुओं की सूची:-

- (1) इच्छुक आवेदक को जोनल प्लान, डिजिटल प्लेटफार्म पर GIS Based से संबंधित कार्यों का पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है।
- (2) स्थल निरीक्षण का दिनांक
 - (ए) प्लान/मुख्य फीचर्स/ प्लान
 - (बी) मार्ग (वर्तमान व प्रस्तावित)
 - (सी) उज्जैन मास्टर प्लान के सभी नियोजन मानको/प्रावधान मापदण्ड।
- (3) नगर पालिक निगम उज्जैन की रिक्वायरमेंट्स व उसका विश्लेषण/प्रस्तुतीकरण।
- (4) आर्किटेक्चरल ले-आउट स्केल 1:100 या 1:200 (उपयुक्तता के आधार पर)
- (5) इनोवेटिव डिजाईन/प्रोविजन ऑफ धारा 20 के प्रावधान अनुसार जोनल प्लान
- (6) लिस्ट ऑफ ड्राइंग्स मिनिमम रिक्वायर।
 - (ए) साइट प्लान/लोकेशन प्लान(1:200 या उपयुक्त स्केल)
- (7) उपरोक्त 3 हार्ड (रंगीन) प्रति व 2 सी.डी. में भेजे।
- (8) पॉवर पाइंट प्रस्तुतिकरण में अधिकतम सीमा 20 मिनिट रहेगी।

S.N.	Criteria	Score
1	Completed project cost Rs.25.00 to 50.00 Lak	5
2	Successfull Completion of zonal planning project under any similar projects (3 marks for 1 project, Remaining 2 marks will be awarded proportionally as per the no. of projects up to maximum of 2 projects i.e. 1 marks for each projects)	5
3	Power point Presentation, as per requirements	25
4	Procedure for preparation of zonal plan	10
5	Study of similar project of other state	10
6	Knowledge of zonal plan act of the state of M.P.	5
7	Urban planner, (minimum 5year experience) Urban Planning & Designing project	10
8	G.I.S. Expert	10
9	Zonal plan/Urban plan expert	10
10	Urban Design expert	5
11	Surveyor	5
	Total	100